



# उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय

कार्यालय पता— राजकीय महिला पॉलिटेक्निक परिसर, सुद्धोवाला,  
पो0ओ0 चंदनवाड़ी, प्रेमनगर, चकराता रोड, देहरादून।  
फोन नं0 (0135-2770126, 2770128) मोबाईल नं0 (7060320937, 7060320964)

पत्रांक : ...../विज्ञापन/2015

दिनांक : ..../07/2015

## UKSEE-2015 COUNSELING SCHEDULE

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध शासकीय एवं स्ववित्तपोषित कॉलेजों में MCA/BHMCT/B.Pharm./ B.Tech (lateral Entry) की काउंसिलिंग उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा करायी गयी प्रवेश परीक्षा (UKSEE-2015) की मेरिट के आधार पर निम्नानुसार आयोजित की जाएगी :-

COURSE	UKSEE RANK/ CATEGORY	REPORTING DATE Time 9.00AM to 5.00PM	COUNSELING DATE Time 9.00AM to 5.00PM	VENUE
B.Tech (lateral Entry for Diploma)	1 to 600 (All Category)	27.07.2015	28-07-2015	Uttarakhand Technical University Campus, Prem Nagar, Chakrata Road, Suddhowala, Dehradun
	601-1600 (All Category)			
B.Tech (Lateral Entry for B.Sc Graduates)	1-29 (All Category)	28.07.2015	29-07-2015	
B.Pharm	1-328 (All Category)	29.07.2015	30-07-2015	
B.Pharm (Lateral Entry for Diploma)	1-89 (All Category)			
MCA	1-171 (All Category)	30.07.2015	31-07-2015	
MCA (Lateral Entry)	1-132 (All Category)			
BHMCT	1-307 (All Category)			

B.Tech (Lateral Entry) में B.Sc डिग्री धारक को प्रवेश डिप्लोमा धारक अभ्यर्थियों के प्रवेश लेने के उपरान्त रह गयी रिक्त सीटों पर दिया जायेगा। समस्त अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग शुल्क रू0 1000/- बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो कि वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून के पक्ष में देय हो, जमा कराना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को रिपोर्टिंग के समय निम्नलिखित प्रमाण-पत्र मूलरूप में (छायाप्रति सहित) प्रस्तुत करने होंगे, (1) UKSEE-2015 का Admit Card एवं Score Card (2) हाईस्कूल प्रमाण पत्र (3) 10+2 की मार्कशीट (अंक-तालिका) (4) उत्तराखण्ड का स्थाई/मूल निवास प्रमाण-पत्र (5) आरक्षण वर्ग का प्रमाण-पत्र (6) चरित्र प्रमाण-पत्र (7) रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेवेंटशिनर द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण पत्र Blood Group सहित (8) शिक्षा के बीच के गैप का शपथ पत्र (यदि लागू हो) (9) तीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ। रिपोर्टिंग के समय अभ्यर्थी Qualifying Examination Pass होना चाहिये। काउंसिलिंग संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.uktech.ac.in](http://www.uktech.ac.in) देखें या मोबाईल नं0 7060320937, 7060320964 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

- शासनादेश सं0 348/XXIV(8)/10-26/10 दिनांक 19/01/2011 यथासंशोधित शासनादेश सं0 647/XLI-1/12-26/10 दिनांक 20/06/2012 के अनुपालन में बी0फार्म0 तथा बी0एच0एम0सी0टी0 में प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए सभी निजी एवं राजकीय सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थानों में निर्बल श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु Tuition Fee waiver Scheme अनिवार्य रूप से लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक पाठ्यक्रम में स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत अतिरिक्त सीटें उत्तराखण्ड के ऐसे स्थायी/मूल निवासियों के लिए आरक्षित की गयी हैं, जिनके अभिभावकों की समस्त स्रोत से वार्षिक आय रू0 4.50 लाख से कम हो। ऐसे प्रवेशित अभ्यर्थियों से सम्पूर्ण पाठ्यक्रम हेतु शिक्षण शुल्क नहीं लिया जायेगा। अभ्यर्थी इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश एवं उक्त शासनादेशों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.uktech.ac.in](http://www.uktech.ac.in) पर देख सकते हैं।
- Lateral Entry की सीटें केवल उत्तराखण्ड के स्थायी/मूल निवासियों अथवा उत्तराखण्ड राज्य से Qualifying Exam उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेंगी।
- काउंसिलिंग हेतु इस विज्ञापित के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को अलग से कोई सूचना प्रेषित नहीं की जाएगी।
- Lateral Entry के माध्यम से प्रवेश लेने वाले छात्रों को काउंसिलिंग के समय Qualifying परीक्षा का मूल/Provisional अंक पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

अध्यक्ष  
स्टेट काउंसिलिंग बोर्ड उत्तराखण्ड